एम.ए.सी.पी. संख्या ३१२/२०१९,
सुखवीर सिंह तनय श्री वीर सिंह निवासी ग्राम रसोई थाना बवीना जिला झाँसी

--------याची

प्रति

१. ब्रजमोहन कराठिया तनय श्री बाबू लाल निवासी ४२३, मातनपुरा बवीना जिला झाँसी उ. प्र.

.........पंजीकृत स्वामी मिनीडोर नं. यू. पी. ९३ ई ७३५४

२. दि न्यू इंण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सदर बाजार झाँसी जरिए शाखा प्रबन्धक सदर बाजार झाँसी

........बीमा कम्पनी मिनीडोर नं. यू. पी. ९३ ई ७३५४

३. उत्तम सिंह तनय छोटे लाल नि. ग्राम रसोई थाना बवीना जिला झाँसी

........चालक

--------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री बलवीर पाली
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री एस. सी. गुप्ता

१२.१२.२०२०

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। यह दावा सुखवीर सिंह को मोटर वाहन दुर्घटना मे आयी उपहति पर क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत हुआ है। पत्रावली आदेश हेतु नियत है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को विगत नियत तिथि पर ८९बी सुलहनामा पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया। याची व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा ८९बी याचीगण व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है। ८९बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ७६,००० याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा ८९बी की पुष्टि की गयी है तथा याची सुलहनामा ८९बी में दर्शित कुल ₹ ७६,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा ८९बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा ८९बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ८९बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. २ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि **₹ ७६,००० (छियत्तर हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के Syndicate Bank A/c 92352010008560 IFSC- SYNB0009235 में आर.टी.जी.एस./ नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। याची उक्त प्रतिकर की धनराशि जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगा। तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 16:54:04 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi